विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 366 दुर्ग, दिनांक - 15/10/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 184
दिनांक: 08/10/2026

श्री डॉ. रविन्द्र सोनी
पता : ब्लॉक–7, प्लॉट–7,
नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई
वी.पी. क्रमांक : 1000520440
मोबाइल क्रमांक : 9300491335

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता, भिलाई पश्चिम संभाग,
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई।
2. सहायक अभियंता, नेहरू नगर जोन,
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., भिलाई।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 14 / 10 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक डॉ. रविन्द्र सोनी, निवासी ब्लॉक–7, प्लॉट–7, नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार, आवेदक विगत कुछ वर्षों से अस्वस्थ होने के कारण गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है। इस कारण वह नियमित रूप से विद्युत देयकों का भुगतान करने में असमर्थ रहा है। विद्युत देयकों की बकाया राशि लगातार बढ़ने के फलस्वरूप अनावेदकगण द्वारा दिनांक 06.10.2026 से आवेदक के परिसर की विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दी गई है।

O/C

आवेदक का कथन है कि उसके विद्युत देयक की राशि दो लाख रुपये से अधिक हो गई है तथा उसे आशंका है कि परिसर में स्थापित विद्युत मीटर में तकनीकी खराबी होने के कारण बिलिंग में त्रुटि हो रही है। आवेदक आर्थिक कठिनाई के कारण संपूर्ण बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ है तथा वह ₹5,000/– प्रतिमाह की दर से बकाया राशि का भुगतान करना चाहता है।

अतः आवेदक द्वारा फोरम से निवेदन किया गया है कि उसे बकाया राशि का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हुए विद्युत कनेक्शन पुनः संयोजित कराने तथा मीटर एवं बिलिंग संबंधी शिकायत का निराकरण कराने हेतु उचित आदेश पारित किया जाए।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं कथनों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं—

1. आवेदक के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु विद्युत कनेक्शन श्री जीपी सोनी के नाम से स्थापित है जिसे वर्तमान उपयोगकर्ता आवेदक स्वयं है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 7.2 किलोवाट है।

3. आवेदक द्वारा विगत अवधि में विद्युत देयकों का नियमित भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण बकाया राशि में वृद्धि हुई है।

4. परिसर में स्थापित विद्युत मीटर अप्रैल 2026 से दोषपूर्ण बताया गया है तथा इस अवधि में औसत खपत 963 यूनिट के आधार पर बिलिंग की गई है।

5. बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण अनावेदकगण द्वारा दिनांक 06.10.2026 से विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित की गई है।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का मुख्य कथन है कि अस्वस्थता एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह विद्युत देयकों का नियमित भुगतान नहीं कर पाया। उसके परिसर का विद्युत बिल दो लाख रुपये से अधिक हो गया है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गई है।

आवेदक ने यह भी आपत्ति की है कि परिसर में स्थापित मीटर अप्रैल 2026 से खराब होने के कारण औसत खपत के आधार पर बिलिंग की जा रही है तथा औसत बिलिंग की गणना में त्रुटि होने की आशंका है।

आवेदक द्वारा संपूर्ण बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए ₹5,000/– प्रतिमाह की दर से किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने तथा विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारंभ कराने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार—

1. आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर अप्रैल 2026 से खराब होने के कारण औसतन 963 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की जा रही थी। दोषपूर्ण मीटर को बदलने हेतु विभागीय कर्मचारी परिसर में गए थे, किंतु आवेदक द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किए जाने के कारण मीटर नहीं बदला जा सका।

2. अनावेदकगण के अनुसार, उक्त विद्युत कनेक्शन पर ₹2,27,465/– की बकाया राशि लंबित है तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण दिनांक 06.10.2026 से विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित की गई है।

3. अनावेदकगण ने बताया कि आवेदक द्वारा अप्रैल 2024 से विद्युत देयकों का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बकाया राशि में लगातार वृद्धि हुई है।

4. अनावेदकगण द्वारा दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक की बिलिंग संबंधी जानकारी एवं गणना पत्रक फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं—

1. क्या विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण अनावेदकगण द्वारा आवेदक की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित किया जाना नियमानुसार उचित है?

2. क्या अप्रैल 2026 से दोषपूर्ण मीटर के आधार पर की गई औसत बिलिंग की गणना नियमानुसार सही है?

3. क्या आवेदक को उसकी आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान किया जाना उचित होगा?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा उभय पक्षों के कथनों, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग विवरण, मीटर संबंधी अभिलेखों तथा गणना पत्रकों का परीक्षण किया गया।

6.1. बकाया राशि एवं विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के संबंध में

अभिलेखों के परीक्षण से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा लंबे समय से विद्युत देयकों का नियमित भुगतान नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदक द्वारा विभिन्न अवधियों में आंशिक भुगतान किया

गया, तथापि संपूर्ण देय राशि का भुगतान नहीं होने के कारण बकाया राशि में लगातार वृद्धि हुई है।

अभिलेखों के अनुसार, आवेदक द्वारा नवंबर 2023, दिसंबर 2023 एवं जनवरी 2024 में आंशिक भुगतान किया गया। इसी प्रकार जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक तथा अगस्त 2025, सितंबर 2025, दिसंबर 2025 एवं फरवरी 2026 में भी आंशिक भुगतान किया गया। इसके पश्चात मार्च 2026 से विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में वर्तमान बकाया राशि के संबंध में ₹2,27,465/– दर्शाया गया है,

विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जाना तथा बकाया राशि का लगातार लंबित रहना अभिलेखों से प्रमाणित होता है। अतः लागू विद्युत अधिनियम एवं प्रचलित विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अधीन आवश्यक सूचना एवं अन्य निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए जाने की स्थिति में बकाया राशि के आधार पर विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने की कार्रवाई को केवल इस आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता कि आवेदक आर्थिक कठिनाई में है। अतः अनावेदक गण द्वारा उपभोक्ता के विद्युत आपूर्ति को अस्थाई रूप विच्छेद किया जाना उचित पाया गया

6.2. दोषपूर्ण मीटर एवं औसत बिलिंग के संबंध में

अनावेदकगण के उत्तर से स्पष्ट है कि आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर अप्रैल 2026 से दोषपूर्ण बताया गया है तथा इस अवधि में औसतन 963 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की गई।

फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत गणना पत्रक का परीक्षण करने पर औसत बिलिंग की गणना नियमानुसार सही नहीं पाई गई।

अतः अनावेदकगण द्वारा दोषपूर्ण मीटर की स्थिति, पूर्व की वास्तविक मीटर रीडिंग, लागू बिलिंग अवधि तथा प्रचलित विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए औसत बिलिंग की पुनर्गणना किया जाना आवश्यक है। पुनर्गणना के पश्चात ही आवेदक के विरुद्ध सही देय राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

6.3. मीटर बदलने के संबंध में

अनावेदकगण द्वारा यह बताया गया है कि दोषपूर्ण मीटर को बदलने हेतु विभागीय कर्मचारी परिसर में गए थे, किंतु आवेदक द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने का विरोध किए जाने के कारण मीटर नहीं बदला जा सका।

विद्युत खपत की सही गणना तथा पारदर्शी बिलिंग सुनिश्चित करने हेतु दोषपूर्ण मीटर को नियमानुसार बदलना आवश्यक है। अतः आवेदक का भी यह दायित्व है कि वह लागू नियमों के अनुसार मीटर बदलने तथा आवश्यक परीक्षण की कार्रवाई में विभाग को सहयोग प्रदान करे।

6.4. बकाया राशि के किस्तों में भुगतान के संबंध में

आवेदक द्वारा अपनी अस्वस्थता एवं आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए ₹5,000/– प्रतिमाह की दर से बकाया राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की गई है।

फोरम का मत है कि विद्युत उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा के देयकों का भुगतान किया जाना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर बिलिंग संबंधी त्रुटि की स्थिति में उपभोक्ता से सही एवं नियमानुसार निर्धारित राशि ही वसूल की जानी चाहिए।

अतः आवेदक की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बकाया राशि के पुनर्गणना के पश्चात अनावेदक गण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नलिखित आदेश पारित करता है—

7.1. अनावेदकगण द्वारा बकाया विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण दिनांक 06.10.2026 से विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने की कार्रवाई, लागू नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अधीन, उचित मानी जाती है।

7.2. अनावेदकगण आवेदक के अप्रैल 2026 से की गई औसत बिलिंग की पुनर्गणना प्रचलित विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार करेंगे। पुनर्गणना में पूर्व की वास्तविक मीटर रीडिंग, उपलब्ध बिलिंग अभिलेख तथा लागू नियमों को ध्यान में रखा जाएगा।

7.3. अनावेदकगण प्रस्तुत अभिलेखों में दर्शाई गई ₹2,27,465/– की बकाया राशि का सत्यापन कर सही एवं अंतिम देय राशि निर्धारित करेंगे तथा उसकी गणना का विवरण आवेदक को उपलब्ध कराएंगे।

7.4. अनावेदकगण दोषपूर्ण मीटर को नियमानुसार बदलने की कार्रवाई करेंगे। आवेदक को मीटर बदलने एवं आवश्यक परीक्षण हेतु विभागीय कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।

7.5. आवेदक द्वारा बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने के अनुरोध पर अनावेदकगण लागू नियमों के अंतर्गत विचार करते हुए, नियमानुसार किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई करेंगे। किस्तों की संख्या, देय तिथि एवं अन्य शर्तें आवेदक को लिखित रूप में सूचित की जाएंगी।

7.6. विद्युत आपूर्ति के पुनः संयोजन के संबंध में अनावेदकगण लागू नियमों एवं स्वीकृत किस्त योजना की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारंभिक भुगतान तथा आवश्यक शर्तों की पूर्ति किए जाने पर विद्युत आपूर्ति पुनः संयोजित करने के अनुरोध पर नियमानुसार तत्काल निर्णय लिया जाए।

7.7. आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की पारित तिथि से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7.8 यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

7.9 आदेश पारित

7.10 प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग